कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 226/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.06.2026

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

□ ***आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी: 70 वर्षीय वृद्ध हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा, आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार***

□ ***शेखपुरा हत्याकांड का सफल अनावरण: पुलिस की सटीक कार्रवाई से आरोपी अभय उर्फ मत्तू दबोचा गया***

□ ***15 वर्ष पुरानी रंजिश में की थी हत्या: आरोपी की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू, तमंचा व अन्य साक्ष्य बरामद***

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक- 10/11.06.2026 की रात्रि में वादी कर्मराज चौहान पुत्र स्व. भुआल चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता भुआल चौहान (उम्र लगभग 70 वर्ष) रात्रि भोजन के उपरांत घर के बाहर स्थित पशुशाला के समीप कमरे में सो रहे थे। रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 305/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली यादवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त की लगातार तलाश एवं पतारसी सुरागरसी की जा रही थी। जिसके क्रम में-

▶□ दिनांक 12.06.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से समबन्धित अभियुक्त अवैध असलहे के साथ मोटरसाइकिल से बंशी बाजार–उकरौड़ा मार्ग होते हुए एक्सप्रेस-वे की ओर जा सकता है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी एवं चेकिंग अभियान चलाया गया।

घेराबंदी के दौरान अभियुक्त पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु वाहन फिसलने से गिर पड़ा। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी नियंत्रित जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल अभियुक्त को समय लगभग 23.45 बजे पुलिस हिरासत मे लेकर तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में घायल अभियुक्त अभय चौहान उर्फ मत्तू द्वारा बताया गया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व उसकी माता के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर वह भुआल चौहान से रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते उसने दिनांक 10/11.06.2026 की रात्रि में सोते समय भुआल चौहान की चाकू से गला रेतकर हत्या की थी तथा घटना के बाद फरार हो गया था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 305/2026 धारा 103(1) बीएनएस, 4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़ ।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-

अभय चौहान उर्फ मत्तू पुत्र धीर्जन चौहान उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (काला रंग), एक अदद तमंचा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, दो अदद चाकू (एक आलाकत्ल एवं एक अन्य), एक अदद खून लगा सफेद गमछा तथा एक अदद खून लगी काली टी-शर्ट।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 प्रमोद कुमार, उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति, उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, का0 राजन कुमार शर्मा, का0 सचिन मिश्रा, का0 अजय कुमार यादव, रि0का0 रवि कुशवाहा, का0 अंशुमान सिंह, का0 आदित्य कुमार, का0 सुमित कुमार, रि0का0 सचिन कुमार, का0 अमित यादव, रि0का0 अमर प्रजापति एवं चालक का0 आफाक हैदर, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।